UPBD010023512025

<u>न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा।</u>

दाण्डिक अपील संख्या–48/2025

मे0 ममता ट्रेडर्स बनाम श्री बालाजी ट्रेडस आदि

<u>दिनांक 14.07.2026</u>

<u>बाद लंच</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

उभयपक्षों की ओर से संधिपत्र कागज सं0 47क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट(द्वितीय) बांदा के परिवाद सं0 322/2024 में मु0 1,51,661/–रूपये का आदेश किया था कि अपीलकर्ती निर्णय के दिनांक से 45 दिन के अन्दर जमा करें। उपरोक्त अपील दायर करने के समय माननीय न्यायालय के आदेश से 10,000/–रूपये अपीलकर्ती ने अधीनस्थ न्यायालय में जमा कर दिया था। माननीय न्यायालय के समक्ष 30,000/–रूपये दिनांक 08.06.2026 को दिया था। आज दिनांक 14.07.2026 को अपीलकर्ती ने शेष संपूर्ण धनराशि प्रत्युत्तरदाता को अदा कर दिया है। अब दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं है और न ही कोई लेन–देन शेष है, इसलिए न्यायहित में उपरोक्त अपील का निस्तारण पक्षों की सहमति के आधार पर निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया है। अवर न्यायालय में मु0 10,000/–रूपये जमा धनराशि प्रत्युत्तरदाता उठाने का अधिकारी होगा।

अपीलकर्ती/अभियुक्ता ममता की ओर से बशिनाख्त अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर तिवारी, एडवोकेट एवं प्रत्युत्तरदाता/विपक्षी सं0 1 अमित कुमार की ओर से बशिनाख्त अधिवक्ता श्री इन्द्रकरन सिंह, एडवोकेट द्वारा संयुक्त रूप से आपसी सहमति के आधार पर संधिपत्र कागज संख्या–47क प्रस्तुत होकर उभयपक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत संधिपत्र कागज संख्या–47क के अनुसार उभयपक्षों के मध्य आपस में सुलह हो गयी है, अब दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं है और न ही कोई लेन–देन शेष है। प्रत्युत्तरदाता/विपक्षी सं0 1 अमित कुमार अधीनस्थ न्यायालय में जमा धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

अतः संधिपत्र कागज संख्या–47क के आधार पर प्रस्तुत दाण्डिक

Digitally signed by ALPANA SHARMA
Date: 2026.07.15 17:31:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपील स्वीकार किये जाने एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश 27.09.2024 अपास्त किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

दाण्डिक अपील संधिपत्र कागज संख्या–47क के आधार पर स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, बांदा द्वारा परिवाद संख्या–322/2024, श्रीबाला जी ट्रेडर्स प्रोपराइटर अमित कुमार बनाम मे0 ममता ट्रेडर्स पत्नी पप्पू उर्फ राजू कोटार्य, अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना–कोतवाली नगर, जिला–बांदा में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 27.09.2024 अपास्त किया जाता है। प्रत्युत्तरदाता/विपक्षी सं0 1 अमित कुमार अधीनस्थ न्यायालय में जमा धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

तद्नुसार अपीलकर्ती/अभियुक्ता ममता को दोषमुक्त किया जाता है। संधिपत्र कागज सं0 47क आदेश का अंग होगा।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली यथाशीघ्र वापस भेजी जावे।

दिनांकः 14.07.2026

(अल्पना)
सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे0ओ0 कोड सं0–यूपी05748)